मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रामभुति बनाम कालूराम आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 373/2021

निर्णय दिनांक :– 14-12-2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 की ओर से वकील सरजीत बिश्नोई की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रामसरा के खाता सं० 1/11 के खसरा सं० 113, 135, 135/266, 163 कुल 7.385 है० बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी रामभूति को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं० 3 लिछमण को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 रामेश्वर को 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 5 व 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 3 व 4 के पक्ष में व प्रतिवादी सं 2, 7 व 8 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर मुन्य कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि नेकू के रूप हो तो रूपान्तरण होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड के अमल दरामद किया जावे। दरोगान को डिक्री का लाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
(शिविर प्रभारी)
भादरा जिला हनुमानगढ़
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प मलसीसर

Scanned with CamScanner